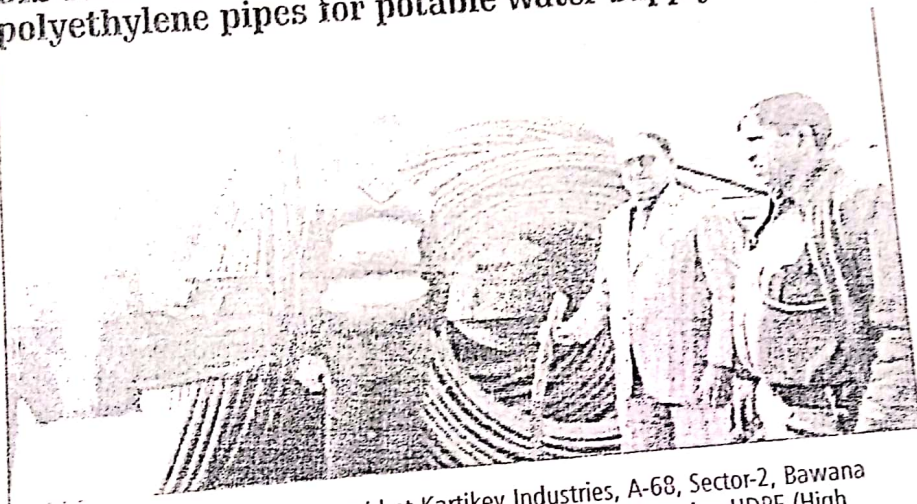


BIS raids unit manufacturing high density polyethylene pipes for potable water supply



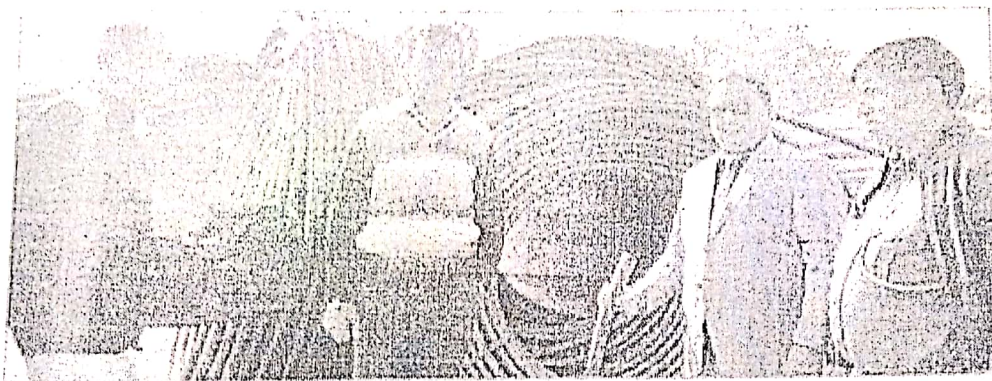
BIS conducted an enforcement raid at Kartikey Industries, A-68, Sector-2, Bawana Industrial Area, Delhi-110039, recently. The firm was manufacturing HDPE (High Density Polyethylene) Pipes for potable water supply with CM/L-9773306 as per IS 4984 : 2016 under brand name 'SAFAL HDPE PIPE' without having a valid BIS Licence which is violation of Section 17 (3) of BIS Act 2016 and a punishable offence. The raid team also seized substantial quantity of HDPE pipes for potable water supply at the above said unit.

Free Press Journal

Mumbai

4/1/19

दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो के छापे



नई दिल्ली। भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में गेसर्स कार्बोनेट इंटरनेशनल 68, रोक्टर-2 बंगला औद्योगिक क्षेत्र नई दिल्ली घर प्रवर्तन संबंधी छापा मारा। यह इकाई ब्यूरो के वैश्व लाइसेंस के बिना पाइपों का निर्माण कर रही थी, जो कि स्टैंडार्ड अक्टिविटीय 2016 की धारा 17 (3) का उल्लंघन है और एक दुर्लभ अपराध है। उपरोक्त छापे के दौरान टीम ने उपरोक्त इकाई से भारी मात्रा में उत्पन्न बाली पॉलीइथाईलीन पाइपों जवाब की।

दिव्य हिमाचल

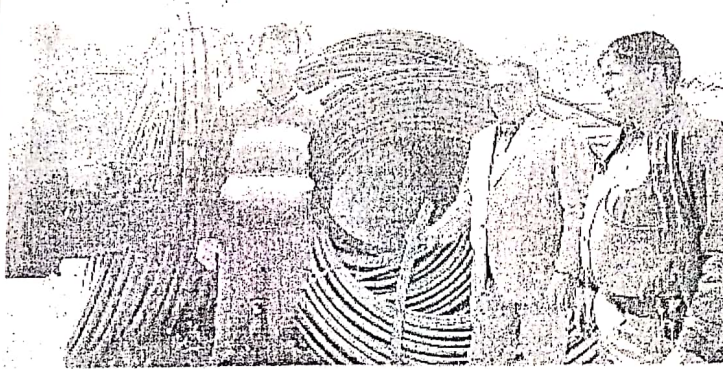
Information news

Fri, 04 January 2019

epaper.divyahimachal.com/c/35497437



विना लाइसेंस पालीइथाइलीन निर्मित पाइपें जस्त



चंडीगढ़। भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में मेसर्स पार्लियेस इन्डस्ट्रीज, ए-6/8 गेट नं. 2, बवाना औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली पर प्रबलन नकरी द्वारा मांग। यह इकाई ब्यूरो के बीच लाइसेंस के बिना आइएस 4984:2016 के अनुसार 'पार्लेस प्लेस्टीक पाइप' का नाम से सीएसएन 9773:2006 के साथ जून आपूर्ति के लिए उच्च घनत्व वाली पालीइथाइलीन पाइपों का निर्माण कर रही थी, जोकि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 17(3) के तहत बनाई गई है। उपरोक्त धारा के अंतर्गत, देश में उपरोक्त इकाई से जारी माफ में उक्त घनत्व वाली पालीइथाइलीन पाइपें जस्त की।

हिमाचल दस्तक

4/1/19

चंडीगढ़